

राजस्थान सरकार  
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांक एफ 2(21)खा.वि./स्था.प्र./2019

जयपुर, दिनांक 30.07.2019

आदेश

विभाग में नवनियुक्त प्रवर्तन निरीक्षक का पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर तुरंत प्रभाव से किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वे अविलम्ब अपनी उपस्थिति पदस्थापित स्थान पर देंगे:-

क्र.सं.	प्रवर्तन निरीक्षक का नाम	जन्म तिथि	जिला रसद कार्यालय जहाँ कार्यभार ग्रहण करना है
1	OMENDRA KUMAR	08.08.1991	उदयपुर

उक्त प्रवर्तन निरीक्षक के आधारभूत प्रशिक्षण की व्यवस्था विभाग द्वारा बाद में की जानी है, अतः सम्बन्धित जिला रसद अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि प्रवर्तन निरीक्षक को प्रथम एक सप्ताह तक जिले में पदस्थापित किसी अनुभवी प्रवर्तन अधिकारी अथवा प्रवर्तन निरीक्षक से विभागीय कार्यकलापो के संबंध में प्रशिक्षण दिलवाया जावे।

ह-

(रश्मि गुप्ता)

अतिरिक्त खाद्य आयुक्त

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 विशिष्ट सहायक, माननीय खाद्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
- 2 निजी सचिव, माननीय खाद्य राज्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
- 3 निजी सचिव, शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर।
- 4 निजी सचिव, अतिरिक्त आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर।
- 5 संबंधित श्री .....
- 6 निजी पत्रावली संबंधित कर्मचारी।
- 7 रक्षा पत्रिका।

सहायक आयुक्त खाद्य